न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 262/2024

अपीलांट — बनाम — रेस्पोडेन्ट

जसवन्त सिंह पुत्र नारायण सिंह
जाति राजपूत, निवासी सेखाला,
जिला जोधपुर

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर
2. भंवरसिंह पुत्र हरिसिंह
3. सायरकंवर पत्नी हरिसिंह
4. तगतसिंह पुत्र जोगसिंह
5. गिरधारीसिंह पुत्र जोगसिंह
   जाति राजपूत, निवासी ग्राम सेखाला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बालेसर आदेश दिनांक 10.12.2021 राजस्व प्रकरण नम्बर 109/2021 (कमांक: रीडर/2021/3138 दिनांक 21.12.21)

उपस्थिति –
1. श्री छोटूसिंह सोढा, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 की ओर से
3. श्री श्रवणसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0सं0 2 से 5

निर्णय

दिनांक 29.10.2025

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2021 के द्वारा तहसीलदार सेखाला के पत्र कमांक 598 दिनांक 10.12.2021 से प्रस्तावित राजस्व ग्राम सेखाला के खसरा नम्बर 709, 706/5, 706/2, 706/1 की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगु ग पर परीक्षण किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के सह–खातेदारी खसरा नं0 709 की भूमि में से 0.02 हैक्टर भूमि को ख0नं0 709/1 के रूप में गै0मु0 रास्ता घोषित कर, राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। मौके पर रास्ता मौजूद नही है। प्रकरण में अपीलांट को नोटिस एवं जवाब व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश बिना विधिक प्रकिया अपनाये तहसीलदार सेखाला द्वारा दिनांक 10.12.2021 को प्रस्तुत आवेदन पर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के दौरान कैम्प कोर्ट सेखाला में उसी दिन पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित है। उक्त प्रस्ताव रेस्पो0सं0 2 से 5 के सुविधार्थ आपसी मिलीभगत से प्रस्तावित किया गया है, जिसमें उसकी सहमति नही ली गई है। मौके पर रास्ते की वैकल्पिक व्यवस्था है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 से 5 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त प्रस्ताव गश्त गिरदावरी के दौरान रूबरू मौतबरान मौके पर पाये गये चालू कदिमी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव में सरपंच ग्राम पंचायत सेखाला के हस्ताक्षर है। अपीलाधीन आदेश राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित किया गया है। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा आदेशिका दिनांक 14.10.25 में आदेश निरस्त करने पर कोई आपत्ति नही होना अंकित किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत तहसीलदार सेखाला के आवेदन/प्रस्ताव पर की गई हैं। प्रकरण में तहसीलदार सेखाला के प्रस्ताव के संलग्न नक्शा किश्तवार के अनुसार, उक्त रास्ता खातेदारान के आवागमन की सुविधार्थ मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु पारित किया जाना प्रतीत है। अतः अपीलाधीन आदेश पारित होने के

राजस्व सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

31 माह बाद अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत उक्त अपील में वांछित अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन व स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा प्रकरण नम्बर 109/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

29.10.25.
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर